किरपाल कौर व अन्य

बनाम

वी.एम.सिंह व अन्य

अगस्त 30, 2007

(एस.बी.सिन्हा एण्ड़ हरजीतसिंह बेदी, न्यायाधिपतिगण)

अंर्तवर्ती आवेदन-समझौते के आधार पर निर्णय से व्युत्पन्न अपील में-सर्वोच्च न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए, कुछ निर्देश दिये-चूंकि निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, एक अंर्तवर्ती आवेदन दायर किया गया जिस पर, आवेदक को अदालत में धन जमा कराने की अनुमति दी गई थी-दूसरे पक्ष द्वारा विरोध करने पर प्रार्थी ने उक्त आवेदन को वापस लेना चाहा-दूसरे पक्षकार ने यह कथन करते हुए कि उसमें गलत और मनहानिकारक आरोप लगाए गए थे, उक्त अंर्तवर्ती आवेदन को वापस लिये जाने का विरोध किया। अभिनिर्धारित किया गया कि: अंर्तवर्ती आवेदनों में, न्यायालय को केवल इस प्रश्न के संबंध में विचार करना है कि, क्या आवेदक को पहले के आदेश के अनुसार राशि जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए-चूंकि आवेदक ने उक्त अंर्तवर्ती आवेदन को वापस लेने का अपना इरादा व्यक्त किया है, इसलिए यदि आवेदक को अपने अंर्तवर्ती आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी- अंर्तवर्ती आवेदन निष्प्रभावी होने से खारिज किया

जाता है- हस्तगत कार्यवाही में, न्यायालय को आवेदक द्वारा अंर्तवर्ती आवेदन/ शपथपत्र में लगाए गए अन्यथा आरोपों की शुद्धता आदि में जाने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई व्यक्ति आवेदक के उक्त बयान से व्यथित है तो वह उचित कार्यवाही में इस तरह के विवाद को उठा सकता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: आई.ए. नं.16 सिविल अपील नं. 6327 ऑफ 2005.

एवं

आई.ए. नं0 17 इन आई.ए. नं. 16 इन सिविल अपील नं0 6327 ऑफ 2005

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एफएओ (ओएस) नं0 162/2000 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 04.03.2003 से

साथ में

आई.ए. नं0 16 इन सिविल अपील नं. 6326 ऑफ 2005

एवं

आई.ए. नं0 18 इन सिविल अपील नं. 6326 ऑफ 2005

लक्ष्मी रमन सिंह अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।

के.एल.जंजानी, प्रशान्त कुमार, मानिक करंजवाला, अरविन्द मिनोचा एवं जी.एस. चटर्जी प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित।

प्रत्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया:

आदेश

1. विभाजन के दो मुकदमे, एक वर्ष 1975 में और दूसरा वर्ष 1989 में दायर किये गये, ये दोनों वाद अप्रैल 1993 में या उसके आसपास पारित सहमति की विषय वस्तु थे। मुकदमे के पक्षकारों के बीच पारिवारिक समझौते का एक विलेख निष्पादित किया गया था। आवेदक प्रत्यर्थी उक्त पारिवारिक समझौते का लाभार्थी था। वह अपीलार्थियों की ओर से उनके समनुदेशक के रूप में कार्य कर रहा था। उक्त निर्णयों और डिक्रीयों के खिलाफ दायर अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.05.2000 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ अन्तर-न्यायालय अपीलों को भी उक्त न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा एक सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 04.03.2003 द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध विशेष अनुमति प्रदान करने बाबत अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। विशेष अनुमति प्रदान करके उक्त अपीलों को इस न्यायालय द्वारा

दिनांक 07.10.2005 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया है कि:-

> ‘‘हालांकि, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि एक ही परिवार के मध्य विवाद को बिना अवशिष्ट क्षेत्र छोड़े निपटाने की वांछा की गई है, हम यह भी निर्देश देते है कि केके और गुणिता द्वारा प्रथम इकरार की शर्तानुसार वीएमएस के पक्ष में पीओए निष्पादित करने पर, वीएमएस इकरार की शर्तानुसार केके और गुणिता को शेष बकाया राशि अदा करेगा। मुख्तयारनामा आम का ऐसा निष्पादन आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर की अवधि में किया जायेगा। उसके पश्चात चार सप्ताह के भीतर शेष समस्त राशि का भुगतान आवश्यक रूप से किया जायेगा।
>
> जहां तक एए का सवाल है उसके द्वारा वीएमएस के पक्ष में किये गये द्वितीय संविदा के खण्ड ई में वर्णित 44 एकड़ भूमि के संबंध में सम्प्रेषण विलेख निष्पादित करने पर, वीएमएस द्वितीय संविदा की शर्तानुसार शेष भुगतान योग्य राशि भुगतान करेगा। ऐसा विलेख आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर आवश्यक रूप से निष्पादित करना

होगा और भुगतान उसके पश्चात चार सप्ताह के भीतर करना होगा।''

2. आक्षेपानुसार उक्त निर्देशों की पालना नहीं की गई थी । एक अवमानना याचिका प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर की गई जो खारिज हुई थी। हालांकि आवेदक श्री वी.एम.सिंह (मूल प्रथम प्रत्यर्थी) ने इस तथ्य के बावजूद भी कि इस न्यायालय के निर्देश की पालना में मुख्तयारनामा निष्पादित नहीं किया गया था, इस न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत राशि को जमा करवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आदेश दिनांक 28.07.2006 द्वारा सिविल अपील में आदेशित राशि इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जमा करवाने हेतु प्रार्थी को अनुज्ञात किया गया। हालांकि रजिस्ट्री द्वारा बतायी गई कमियों को सुधार करने के पश्चात आदेश दिनांकित 06.09.2006 द्वारा उसे बैंक ड्राफ्ट जमा करवाने के लिए अनुज्ञात किया गया।

3. श्री श्री आनन्दमयी सांगा द्वारा एक प्रार्थना पत्र आई.ए. नं0 18 जो कि सी.ए. नं0 6327 ऑफ 2005 में आई.ए. नं0 16 में पक्षकार के रूप में संयोजित करने की अनुज्ञा बाबत दायर किया गया। इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.09.2006 द्वारा उक्त अनुमति प्रदान की गई। आवेदक प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत राशि जमा करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अपीलार्थी द्वारा विरोध किया गया।

4. प्रत्यर्थी-आवेदक जो कि व्यक्तिशः उपस्थित था, यह सबमिट करेगा कि यदि अपील में प्रत्यर्थीगण का अपीलार्थीगण को इस न्यायालय में एतस्मिन पूर्ववर्णित आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय में उसके द्वारा जमा कराई गई राशि को स्वीकार करने के संबंध में कोई आपत्ति हुई तो वह अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लेगा।

5. हालांकि मूल अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विदूषी अधिवक्ता श्रीमती कामिनी जायसवाल ने हमारा ध्यान आवेदक द्वारा प्रतिज्ञात अतिरिक्त शपथ पत्र में किये गये कथनों की ओर आकृष्ट करते हुए कथन किया कि चूंकि अतिरिक्त शपथ पत्र में किये गये कथनों की शुद्धता प्रश्नगत है, ऐसे में आवेदक के आचरण को देखते हुए न्यायालय को इस स्तर पर इस आवेदन को विड्रॉ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

6. विदूषी अधिवक्ता ने कथन किया कि हरिश कुमार द्वारा एक शपथ पत्र प्रतिज्ञात किया गया है जिसमे मूल अपीलार्थीगण के विरूद्ध मानहानिकारक गंभीर आरोप अन्र्तवलित है। उक्त शपथ पत्र के शपथग्रहिता की प्रतिपरीक्षा अनुज्ञात की जानी चाहिए।

7. सी.ए. नं0 6327 वर्ष 2005 में आई.ए. नं0 16 में दायर आर.ए. नं0 17 में आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भास्कर पी.गुप्ता, ने यह सबमिट किया कि चूंकि विभाजन वाद दायर होने से भी पहले अपीलार्थीगण द्वारा उसके पक्ष में एक दान पत्र निष्पादित

किया जा चुका था, अतः उनके मुवक्किल को कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के रूप में सयोजित किया जाना आवश्यक हो गया है।

8. इन अंतर्वर्ती आवेदनों में इस स्तर पर न्यायालय को केवल यह विचार करना है कि क्या न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2006 को दिये गये निर्देशानुसार राशि जमा करवाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जानी चाहिए। यह सही हो सकता है कि उक्त आदेश दिनांकित 28.07.2006 के पूर्वोक्त आदेश की अनुपालना में प्रश्नगत राशि जमा करवायी जा चुकी है। हालांकि आवेदक ने उक्त आवेदन को विड्रॉ करने का अपना आशय व्यक्त किया है। हम ऐसा कोई कारण नहीं पाते है कि उसे ऐसा करने की अनुज्ञा क्यों दी जानी चाहिए। इस प्रकृति की कार्यवाही में न्यायालय को आवेदक द्वारा अपीलार्थीगण या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध लगाये गये अन्यथा आरोपों की शुद्धता आदि में नहीं जाना चाहिए। अपीलार्थीगण द्वारा की गई यह प्रार्थना कि सी.ए. नं0 16 के साथ फाईल की गई सीडी की कॉपी उन्हें दी जानी चाहिये, के संबंध में यदि आवेदक को उसकी अंर्तवर्ती आवेदन विड्रॉ करने की अनुमति दी जाती है तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी। यदि कोई व्यक्ति आवेदक द्वारा या/और हरीश कुमार द्वारा प्रतिज्ञात शपथ पत्र में किये गये कथनों से व्यथित होता है तो वह विधि द्वारा अनुज्ञात समुचित कार्यवाही में इस तथ्य को उठा सकता है। आवेदक द्वारा फाईल की गई सीडी की कॉपी एक बंद

आवरण में निष्पादन न्यायालय को भेजी जावें, ताकि यदि वांछित हो तो पक्षकार उस सम्बन्ध में निष्पादन न्यायालय के समक्ष समुचित आवेदन प्रस्तुत कर सके।

9. जैसाकि आवेदक को अपना आवेदन विड्रॉ करने की अनुज्ञा दी गई है, पक्षकारों के संयोजन का आवेदन निष्प्रभावी हो जाने से एतदद्वारा खारिज किया जाता है। श्री वी.एम.सिंह द्वारा जमा करवाई गई राशि उन्हें शीघ्र लौटाई जावें।

10. चूंकि मामला काफी लम्बे समय से लंबित है, विद्वान निष्पादन न्यायालय से निवेदन करते है कि वे यथासंभव नियत पेशी तारीख पर या इस आदेश की संसूचना के तीन माह के भीतर निष्पादन कार्यवाही के निपटारें की वांछा पर विचार करें।

11. उक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलों में सी.ए. नं0 16 को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है एवं अन्य अंर्तवर्ती आवेदन निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाते है।

आर.पी.

आई.ए. नं0 16 और साथ ही आई.ए. नं0 18 खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भारत भूषण पाठक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।